पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

बोर का पानी

ग्राम पंचायत - कवालिया दरा

ब्लॉक तथा तहसील - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गांव का इतिहास- लगभग 150 साल पहले दुबला गमेती नाम का एक आदिवासी जंगल में आकर बस गया था। उसके घर के पास ही एक झरना था और उस झरने के पास में खट्टे-मीठे बेर की झाड़ियां हुआ करती थीं। बेर को स्थानीय भाषा में बोर कहते हैं; इसलिए उस स्थान का नाम बोर का पानी पड़ गया। उस जगह पर कुछ समय बाद दुबला गमेती के साथ कुछ डामोर परिवार और कुछ ननोमा तथा बरंडा उप जाति के लोग भी रहने लगे। धीरे-धीरे उस जगह गाँव बस गया जो बोर का पानी गाँव के नाम से जाना जाने लगा। गाँव में एक पादर माता जी का मंदिर है।

गांव का परिचय- डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में बोर का पानी गांव बसा हुआ है। जिसकी ग्राम पंचायत कवालिया दरा और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गांव सभा का गठन 25 अगस्त 2018 को हुआ और शिलालेख 11 अक्टूबर 2018 को हुआ। गांव में लगभग 170 घर है और जनसंख्या करीब 1000 है। गांव में तीन फले हैं- गमेती फला, डामोर फला और ननोमा फला। गांव में मात्र आदिवासी लोग ही रहते हैं, जिनमें मुख्यतः गमेती, डामोर, ननोमा, खोखरिया, बरांडा, पाटिया, डूहा और डोडियार आदि उपजातियों के लोग हैं। गांव की जमीन ऊबड़-खाबड़, पथरीली तथा पहाड़ियों की ढलान वाली है। गांव की जमीन पर सिंचाई के साधनों की कमी होने से लोग एक फसल ही उगा पाते हैं। जिन लोगों के पास सिंचाई के साधन हैं, और जमीन थोड़ी समतल है, वह दो फसलें उगा लेते हैं। गांव की मुख्य फसल मक्का, गेहूं, चावल, कपास और उड़द हैं। गांव की जमीन का रकबा लगभग 1197 बीघा है, जिसमें कृषि जमीन लगभग 762 बीघा, बेनामी जमीन लगभग 259 बीघा, जंगल की जमीन लगभग 86 बीघा और चारागाह की जमीन 88 बीघा है। गांव में नालों की संख्या 7 है। नालों में मात्र बरसात में पानी बहता है। बरसात बाद सूख जाता है। गाँव से मैस्वो नदी तीन किलोमीटर दूरी पर निकल रही है। नदी पर एक बड़ा एनिकट भी बना है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने से वह टूट गया है। एनिकट जर्जर होने के कारण बरसात बाद ही नदी में पानी कम होने लगता है, जो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। गांव में 5 एनिकट और हैं। सभी की स्थिति खराब है। गांव के लोगों के रोजगार का मुख्य साधन कृषि है। कृषि से पूरे वर्ष भर खाने का अनाज नहीं हो पाता है। कृषि के अतिरिक्त वह मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। गांव में मनरेगा में मजदूरी सौ रु. से कम ही मिलती है। काम भी पूरे सौ दिन नहीं मिलता है। मनरेगा से आजीविका नहीं चलने के कारण लोग खुली मजदूरी करने के लिए आस-पास के छोटे शहरों और गुजरात के शहरों में जाते है। वहां भी उन्हें महीने में 20 दिन ही काम मिल पाता है। जब जेब में मजदूरी के भुगतान की राशि होती है, तो लोग दाल या सब्जी बाजार से लाकर उससे रोटी खाते है। अन्यथा मिर्ची और मट्ठा आदि से जैसे-तैसे अपना पेट भरते है। गांव में तीन प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें 130 बच्चों को मात्र 5 अध्यापक पढ़ाते हैं। शिक्षकों की कमी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते बच्चों को अपनी कक्षा स्तर का ज्ञान नहीं है। बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़कर बालश्रम करने लगते हैं। कुछ लड़कियों का बाल विवाह हो जाता है और वे ससुराल चली जाती हैं। इस तरह से उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है। गांव में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तलैया में है, जो गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। वहां तक सामान्यतः पैदल ही जाना आना पड़ता है। गांव में दो आंगनवाड़ियाँ हैं। दोनों में पोषाहार नियमित रूप से नहीं मिलता है। जो पोषाहार मिलता है, उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं होने से गांव के कई बच्चे कुपोषित हैं। घर पर भी संतुलित आहार नहीं मिलने से

कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। गांव में जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। कुछ ही लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। जबकि अधिकाँश लोग वंचित है। गांव में एक पादर माता का मंदिर है। गांव की राशन की दुकान तलैया में हैं, जो तीन किलोमीटर दूर है। गांव के श्मशान घाट पर चबूतरा, टीन शेड और लकड़ी रखने के लिए कोई कमरा नहीं है। बरसात के दिनों में यदि अंतिम संस्कार करते समय बरसात आ जाती है, तो अंतिम संस्कार में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

आवागमन की स्थिति- डूंगरपुर तहसील चौराहा से सीधे बोर का पानी मोड़ के निजी साधन मिलते हैं, जो गांव से 3 किलोमीटर दूर बोर का पानी मोड़ उतार देते हैं। वहां से गांववासियों को पैदल ही आना-जाना पड़ता है। गाँव जाने के अन्य तरीकों में डूंगरपुर जिला मुख्यालय से रोडवेज बस अथवा निजी साधन से बिछीवाड़ा तक जा सकते हैं। बिछीवाड़ा से आगे निजी साधन जैसे जीप मिलते हैं, जो बोर का पानी मोड़ पर उतारते है। वहां से तीन किलोमीटर दूर गांव बसा है। गांव तक पहुंचने की सड़क खस्ताहाल है। गांव पहुंचने के अन्य तरीके में डूंगरपुर जिला मुख्यालय से रोडवेज बस द्वारा चुंडावाड़ा जा सकते हैं। वहां से जीप मिलती है, जो बोर का पानी मोड़ पर उतारती है। गांव की मुख्य सड़क से लोगों के घर तक जाने के लिए जर्जर सडक है। गाँव के फलों में जाने हेतु कहीं कच्ची सड़क और कहीं पगडंडी है और कहीं-कहीं तो रास्ता ही नहीं है। कुछ लोग अपने निजी दो पहिया वाहन से आते जाते हैं। बाकी गांववासियों को पैदल ही जाना आना पड़ता है। निजी साधनों का कोई कमर्शियल लाइसेंस नहीं होता है। लोग जीवन को खतरे में डाल जीप में उपर-नीचे सब जगह ठसा-ठस बैठते हैं। दुर्घटना की स्थिति में कोई बीमा या हर्जाना नहीं मिलता है। गांव में तीन कच्ची सड़क और दो पक्की सड़क है। इन सड़कों की हालत बहुत खराब है।

शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति- गांव में 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 130 बच्चों को 5 अध्यापक पढ़ाते हैं। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी और शिक्षकों की कमी तथा लापरवाही के कारण विद्यालय में पढ़ाई का माहौल ही नहीं बन पा रहा है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन्हें अपनी कक्षा स्तर का ज्ञान नहीं है। कुछ बच्चे गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देते हैं और बालश्रम करने लगते हैं। कुछ बच्चे मन नहीं लगने के कारण भी स्कूल छोड़ देते हैं। कुछ किशोरी बालिकाओं का अपवादस्वरूप बालविवाह हो जाता है और वह ससुराल चली जाती हैं। ससुराल जाने के बाद उनका स्कूल भी छूट जाता है। जितने बच्चों के नाम गाँव के स्कूल के रजिस्टर में दर्ज हैं, उनमें से बहुत कम बच्चे स्कूल में भौतिक रूप से जाते हैं। कक्षा छठी से आगे पढ़ाई के लिए तलैया जाना पड़ता है, जो गांव से 3 किलोमीटर दूर है। सामान्यत: वहां पैदल ही आते जाते हैं। स्नातक पढ़ने के लिए डूंगरपुर या बिछीवाड़ा जाना पड़ता है। गांव में दो आंगनवाड़ियाँ हैं। दोनों में बच्चे बहुत कम जाते हैं। वहां पोषाहार भी नियमित रूप से नहीं मिलता है। जो पोषाहार मिलता है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। इसलिए गांव के कुछ बच्चे कुपोषण से पीड़ित है। गाँव की कुछ किशोरी बालिकाएं है और गर्भवती माताएं भी एनीमिया(रक्त की कमी) से पीड़ित है। जिनके लिए न तो स्वास्थ्य विभाग जमीनी स्तर पर कुछ कर पा रहा है और न ही अन्य कोई विभाग उनकी सुध ले रहा है।

गांव का निकटतम चिकित्सा केंद्र तलैया में है, जो 3 किलोमीटर दूर है। वहां पर भी स्टाफ की कमी और लापरवाही के कारण उपचार समय पर नहीं होता है। गांव के बच्चों और गर्भवती माताओं का टीकाकरण भी कभी समय पर होता है, कभी नहीं होता है।

गांव की समस्याएं -

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - बोर का पानी गांव की अधिकांश जमीन पहाड़ियों की ढलानवाली, ऊबड़-खाबड़, पथरीली और असमतल है। अधिकांश जमीन असमतल और ऊबड़-खाबड़ तथा पहाड़ी होने से उस पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, जिससे उस पर मात्र बरसात में होने वाली एक ही फसल हो पाती है। वह भी अधिक बारिश अथवा सूखे की स्थिति में कम हो जाती है। अनाज की जो फसल अधिकांश गांववासियों के खेतों में होती है, वह 3 से 5 महीने खाने भर की होती है। साल के बाकी महीनों के लिए उन्हें बाजार से अनाज खरीद कर लाना पड़ता है। गांव के पास से मैस्वो नदी निकल रही है, जिस पर बड़ा एनिकट भी बना हुआ है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने से एनीकट टूट गया है और उससे पानी बहकर निकल जाता है। इसलिए गर्मी के दिनों में नदी सूखी ही पड़ी रहती है। गांव में लगभग 7-8 नाले हैं, जिन पर 5 एनीकट बने हुए हैं। मानक के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने से वे टूट गए हैं और उनसे पानी रिस कर निकल जाता है। गांव के किसी भी नाले में बरसात बाद पानी नहीं ठहरता है, जिससे गांव में सिंचाई का संकट है। गांव में 8 हैंडपंप हैं, जिसमें से 7 हैंडपंप सूखे पड़े हैं। गांव में कुछ लोगों ने अपने निजी बोरवेल लगवा रखे हैं, लेकिन उनमें भी बरसात के बाद पानी कम हो जाता है। गांव में कुछ को पुराने कुएं हैं, लेकिन मरम्मत के अभाव में वे जर्जर हो गए हैं। भू-जलस्तर नीचे चले जाने से कुछ कुएं बिल्कुल सूख गए हैं। पूरा डूंगरपुर क्षेत्र भूजल के मामले में डार्क जोन घोषित हो गया है। गांव के कुछ परिवार के लोगों को पेयजल के लिए आधे किलोमीटर दूर जाकर सिर पर ढो कर पेयजल लाना पड़ता है। गांव में कोई भी आर.ओ.(रिवर्स ऑस्मोसिस) वाटर प्यूरीफायर प्लांट नहीं होने से शुद्ध पेयजल की भी समस्या है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गांव की पहाड़ी ढलान वाली और ऊबड़-खाबड़ तथा असमतल जमीन पर गांव के लोग किसी तरह गेहूं, मक्का, उड़द, चना और तुवर आदि की खेती करते हैं। फसलों को नीलगाय, बंदर, मोर और जंगली सूअर हानि पहुंचाते हैं। बोर का पानी गांव में खेती की जमीन कम और ऊबड़-खाबड़ होने के साथ ही पहाडी होने से एवं सिंचाई की ठीक व्यवस्था नहीं होने से खेती से अनाज 3 से 5 महीने भर का ही हो पाता है। खेती के अतिरिक्त गांव में मजदूरी ही रोजगार का एकमात्र साधन है। मनरेगा में काम 100 दिन से कम मिलता है और मजदूरी भी 100रु. से कम ही मिलती है। इसलिए मनरेगा में मजदूरी से आजीविका चलाना भी बहुत मुश्किल है। आजीविका की तलाश में गांव के युवा गांव से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। गांव में अधिकतर महिलाएं मनरेगा में मजदूरी करने जाती हैं। जो

युवक गांव से बाहर आस-पास मजदूरी करने जाते हैं, उन्हें भी महीने में लगभग 20 दिन ही काम मिल पाता है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कुछ युवक गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। गांव में लगभग 17 लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो अलग-अलग विभागों में हैं। गांव के जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी है, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक है। जिनके पास समतल जमीन और सिंचाई के अच्छे साधन हैं, वे भी आर्थिक रूप से थोड़े ठीक हैं। बाकी लोग गरीबी में अपना जीवन-यापन कर रहे हैं।

गांव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल		
नदी नाला कुआं निजी बोरवेल हैंडपंप	गांव के जल संसाधन। गांव के निकट मैस्वो नदी बहती है, लेकिन बरसात बाद ही नदी का पानी सूख जाता है। नदी पर एनिकट बना है लेकिन वह टूटा होने से गर्मियों में सूखा ही रहता है। गांव में लगभग 7 नाले हैं। उन पर पांच एनिकट बने हैं, लेकिन सभी एनिकट की स्थिति खराब होने के कारण नालों से पानी बरसात के दिनों में ही बहकर निकल जाता है और गांव में पानी का संकट पैदा हो जाता है। गाँव के कुछ पुराने कुएं जर्जर होकर सूख गए हैं। निजी बोरवेल से लोग सिंचाई का काम करते हैं। भूजल स्तर नीचे होने से गर्मी में बोरवेल भी सूख जाते हैं। गहरे बोरवेल से फ्लोराइड युक्त पानी आता है। गांव में 8 हैंडपंप हैं, जिनमें से 7 हैंडपंप खराब या बंद पड़े हैं।	नदी पर बने एनीकट की मरम्मत करके पानी को रोका जा सकता है। उस पानी में मछली पालन और सिंचाई की जा सकती है। गांव के कुछ हैंडपंप में फ्लोराइड युक्त पानी आता है। आर. ओ. प्लांट लगाकर फ्लोराइड युक्त पानी से छुटकारा पाया जा सकता है। पुराने कुओं की मरम्मत करवाकर भी जल संकट को दूर किया जा सकता है। पूरा डूंगरपुर क्षेत्र भूजल के मामले में डार्क जोन घोषित कर दिया गया है, इसलिए वर्षा जल संरक्षण द्वारा जल संसाधनों को रिचार्ज करके भू-जलस्तर बरकरार रखा जा सकता है और उसे अधिक गहराई पर जाने से रोका जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिलानाम भूमि	बोर का पानी गांव की अधिकांश जमीन पहाड़ियों की ढलान वाली, ऊबड़-खाबड़ और पथरीली है। गांव	बोर का पानी गांव की खाली पड़ी हुई जमीन पर वृक्षारोपण करके उसका उपयोग किया जा सकता है।

चारागाह	के अधिकांश लोगों के पास सिंचाई के साधन नहीं होने से जल संकट के कारण बरसात में होने वाली एक ही फसल का उत्पादन हो पाता है। सूखा पड़ने एवं अधिक बारिश की स्थिति में वह भी बर्बाद हो जाती है। गांव के कुछ लोगों की जमीन समतल है और उनके पास सिंचाई के साधन भी हैं। वह दो फसलों का उत्पादन कर लेते हैं। उन्नतशील बीज और कृषि की आधुनिक तकनीक के अभाव में वह भी उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जितना कर सकते हैं। गांव की बेनामी जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा है। जंगल की जमीन और चारागाह पर भी कुछ लोग कब्जा जमाए बैठे हैं।	लघु वन उपज देने वाले पेड़ गांव सभा की आय में वृद्धि कर सकते हैं। समतलीकरण करने योग्य भूमि को समतल करके और जहां समतलीकरण संभव नहीं है, वहां सीढ़ीनुमा खेत बना करके खेती की जा सकती है। घास के बीज द्वारा चारागाह में घास का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी का परीक्षण और कम्पोस्ट खाद का उपयोग करके जलवायु के अनुकूल पेड़-पौधे लगाने से आय बढ़ेगी।
जंगल	गांव के जंगल और पहाड़ियों में अब उतने पेड़ नहीं बचे हैं, जितने पहले हुआ करते थे। जंगल पर वन विभाग का कब्जा है और उसमें मुख्य रूप से आम, सागवान, बबूल, टीमरू, बांस और नीम आदि के पेड़ हैं। लेकिन पेड़ों की संख्या बहुत कम है। जंगल से लोग घास और सूखी लकड़ी के अतिरिक्त लघु वन उपज में तेंदूपत्ता लाते हैं।	जंगल की जमीन पर वर्षा जल संरक्षण करके जल संसाधनों को रिचार्ज किया जा सकता है। लघु वन उपज देने वाले और फलदार वृक्षों का रोपण करके वनों की स्थिति को बहुत हद तक सुधरा जा सकता है।

पशुपालन हेतु चारे व चारागाह की कमी - बोर का पानी गाँव के लोग खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी पालते हैं। गांव के कुछ लोग मुर्गी पालन भी करते हैं। लेकिन चारे की कमी के कारण गांव के लोगों को पशुपालन में रुचि नहीं रह गई है। गांव में चारा फरवरी-मार्च महीने में समाप्त हो जाता है। उसके बाद चारा बाजार से खरीद कर खिलाना पड़ता है अथवा टीपी कटवा कर वन से जाकर लाना पड़ता है। पौष्टिक चारे के अभाव में पशु गर्मियों में हड्डियों के ढांचे मात्र रह जाते हैं। देसी नस्ल के होने और पौष्टिक चारे की कमी के कारण दुधारू पशु जो दूध देते हैं, वह घरेलू उपयोग में ही खत्म हो जाता है।

इसलिए गांव के लोग दूध का व्यवसाय नहीं करते हैं। देसी नस्ल का होने और उपचार की व्यवस्था नहीं होने से कुछ जानवर भी मर जाते हैं। गांव वासियों के लिए चारा चराने की जगह नहीं होने से बकरी पालन करना भी कठिन है।

आजीविका के साधनों की कमी- बोर का पानी गांव में खेती और मजदूरी के अतिरिक्त आजीविका चलाने का अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। गांव के मात्र 17 लोग हैं, जिनकी सरकारी नौकरी लगी है। उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक है। शेष लोग बदहाली में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मनरेगा में काम 100 दिन से कम मिलता है और मजदूरी भी 100रु. से कम ही मिलती है। मनरेगा से आजीविका चलाना बेहद कठिन है, इसलिए गांव के लोग आस-पास मजदूरी करने जाते हैं। वहां भी उन्हें महीने में मात्र 20 दिन ही काम मिल पाता है। जिस दिन जेब में मजदूरी के भुगतान की राशि होती है, उस दिन घर में कुछ सब्जी या दाल बनती है। अन्यथा मिर्ची की चटनी अथवा मट्ठा से रोटी खा कर सो जाते हैं। गांव के एक दो लोग घरों में रोजमर्रा की जरूरत वाला सामान रखते हैं और उससे होने वाले थोड़े से मुनाफे से काम चलाते हैं। गांव में एक दो पहिया वाहन के पंचर बनाने का काम करते हैं।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - गांव के कुछ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन अधिकांश लोग जमीनी स्तर पर मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। राशन की दुकान, जो गांव से 3 किलोमीटर दूर तलैया में है, वहां पर गेहूं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। पैदल जाने-आने से मात्र राशन लाने में पूरा दिन चला जाता है। कभी-कभी पोस मशीन में अंगूठा नहीं मिलने पर भी इंतजार करना पड़ता है। गांव के कुछ लोगों को पेंशन की सुविधा नहीं मिल रही है। गाँव के लगभग 6 अनाथ बच्चे ऐसे हैं, जो पालनहार योजना से वंचित हैं । इन बच्चों के नाम गांव विकास नियोजन के प्रस्ताव में लिखवाए हैं, ताकि उन्हें पालनहार योजना का लाभ मिल सके। गांव के अधिकांश लोग प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। कई लोगों ने प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान बनाए हैं, लेकिन उनका किस्त भुगतान अभी बाकी है। गांव के कुछ लोगों के यहां शौचालय अभी नहीं बना है। कुछ के यहां शौचालय बन गया है, पर उनका भुगतान होना बाकी है। गांव के तीनों विद्यालय जैसे-तैसे चल रहे हैं। उनके भवन की स्थिति ठीक नहीं है । अध्यापकों की कमी है । शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। गांव की एक आंगनबाड़ी का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है और एक की छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता है। पोषाहार वितरण में लापरवाही और भ्रष्टाचार व्याप्त है। एनीकट का गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने से उनसे पानी रिस कर निकल जाता है। गांव की खेती की स्थिति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 170 घरों के छोटे से गांव में लगभग 70 लोगों ने गांव सभा में केटेगरी 4 के कार्य करवाने के लिए गांव विकास नियोजन के प्रस्ताव में अपने नाम लिखवाए हैं। गांव के कुछ लोगों को उज्जवला गैस कनेक्शन मिले हैं, लेकिन गरीबी के कारण और आवागमन की हालत खराब होने से वह सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं।

गांव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	रास्ते की समस्या	**सार्वजनिक**	बोर का पानी गांव का रास्ता बहुत जर्जर है । जिसका पहला कारण मानक के अनुरूप तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होना है। दूसरा कारण टूटी सड़क की समय पर मरम्मत नहीं करवाना है। पंचायत और लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार भी रास्ते के संकट का कारण है। कभी-कभी गांव के लोग रास्ता निर्माण के समय अपनी जमीन बीच में आने पर जमीन नहीं देते हैं। इससे भी रास्ते के निर्माण में समस्या होती है। ऊबड़-खाबड़ जमीन होने से भी रास्ता निर्माण कठिन है। कभी-कभी वन विभाग रास्ता निर्माण के समय जमीन को जंगल विभाग की जमीन बताकर रास्ता निर्माण करने में बाधा उत्पन्न करता है।	रास्ते का निर्माण मानक के अनुसार और गुणवत्तापूर्ण होना। टूटी हुई सड़क की समय-समय पर मरम्मत होना। पंचायत और सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर होना। गांव सभा द्वारा रास्ते निर्माण के समय निगरानी रखना। रास्ता निर्माण के समय होने वाले भूमि विवाद का निपटारा करना।	**तात्कालिक**
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना	**सार्वजनिक**	गांव के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कम होना। शिक्षकों का समय पर विद्यालय नहीं	विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति भवन की मरम्मत और विद्यालय में मूलभूत	**तात्कालिक**

			आना और शिक्षण कार्य लापरवाही से करना। विद्यालय भवन की छत से पानी टपकना। विद्यालय में शुद्ध पीने के पानी और शौचालय की समस्या एवं विद्यार्थियों का बीच में ही पढ़ाई छोड़कर ड्रॉपआउट हो जाना।	सुविधाएं जैसे पीने के पानी आदि की समस्या दूर करना।	
3	कृषि समस्या	**सार्वजनिक**	कृषि जमीन का ऊबड़-खाबड़ होना और पहाड़ी ढलान वाली होना। सिंचाई का संकट होना। उन्नतशील बीज का अभाव होना। कंपोस्ट खाद का अभाव होना। कृषि की आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं होना। कृषि हेतु संसाधन का अभाव।	ऊबड़-खाबड़ जमीन का समतलीकरण करना। जहां समतलीकरण संभव नहीं है, वहां सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि करना। सिंचाई की व्यवस्था करना। वर्षा जल संरक्षण करना। उन्नतशील बीज की उपलब्धता। कंपोस्ट खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कृषि की आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देना और संसाधन प्रदान करना।	**तात्कालिक**
4	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	गांव के कुछ लोगों को काबिज भूमि पर खातेदारी का हक मिल गया है, लेकिन कई लोग सैकड़ों साल से भूमि पर काबिज होने के बाद भी खातेदारी का हक से वंचित हैं। कब्जे की जमीन उनकी खातेदारी में अभी भी दर्ज होना शेष है। जमीन	गांव के लोगों ने काबिज भूमि पर पट्टे का दावा पहले से कर दिया है लेकिन प्रशासन द्वारा किए जाने वाले विलंब और उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उत्साह नहीं होने और लालफीताशाही के कारण पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गांव सभा की बैठक में	**दीर्घकालिक**

			का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। भूमि सुधार की कोई योजना नहीं है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना राजस्व विभाग ने बंद कर दिया है। किसानों में एक प्रकार का भय व्याप्त है कि सरकार कभी भी किसी भी नाम पर उनकी भूमि छीन लेगी। इसलिए भूमि को बेहतर बनाने की योजना में भी वह उदासीन हैं।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर काबिज भूमि पर खातेदारी का हक प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से दावा करने और उसकी पैरवी करने तथा संख्या बल द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर खातेदारी का हक प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।	
5	पेयजल की समस्या	**व्यक्तिगत**	गर्मियों में गांव में पेयजल की समस्या आ जाती है। जिसका कारण भू-जलस्तर का गहराई में जाना है। पुराने कुओं और जल संसाधनों की मरम्मत नहीं करना। हैंडपंप का खराब होना। वर्षा जल संरक्षण पर ध्यान नहीं देना। कुछ बोरवेल में फ्लोराइड युक्त पानी आना।	वर्षा जल संरक्षण से संग्रहित पानी को पीने योग्य करके पीना। कुओं को रिचार्ज करना। पुराने कुओं तथा अन्य जल संसाधनों की मरम्मत करवाना। खराब हो चुके हैंडपंप की मरम्मत करवाना। फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ति के लिए आर ओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) वाटर प्यूरीफायर प्लांट लगवाना।	**तात्कालिक**
6	आवास निर्माण शौचालय निर्माण	**व्यक्तिगत**	पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही	पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही	**तात्कालिक**

	पेंशन और उसके भुगतान संबंधी समस्या		के चलते गांव के कई लोगों को अभी तक आवास निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली है। कुछ लोगों को आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है, तो उसके भुगतान बकाया हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों का शौचालय निर्माण प्रकरण स्वीकृत नहीं हुआ है। और कुछ लोगों के शौचालय निर्माण का भुगतान बकाया है। गांव के कई लोगों की पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है। कुछ लोगों की पेंशन स्वीकृत हुई है और कुछ की बीच में ही बंद हो गई है।	से निपटना। आवास और शौचालय निर्माण की स्वीकृति समय पर देना। निर्मित आवास और शौचालय का भुगतान समय पर करना। पेंशन के भुगतान में औपचारिकताओं की कमी पूरी कर समय पर भुगतान करना।	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन -			
कच्ची सड़क पक्की सड़क सी.सी. सड़क मजदूर मनरेगा	टूटी सड़कों की सही समय पर मरम्मत न होना। पंचायत का सड़क निर्माण व मरम्मत को लेकर उदासीन होना। भ्रष्टाचार का व्याप्त होना। मानदेय अनुसार व सही समय पर मजदूरी न मिलना। सड़क के लिए जमीन देने में लोगों का आपसी विवाद। वन विभाग द्वारा रास्ते की जमीन को जंगल की जमीन बताकर रास्ता बनाने से रोकना।	मनरेगा के अंतर्गत ग्रेवल (कच्चे) रास्तों का निर्माण। ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने का अवसर। सरकारी यातायात के साधन चलाने का अवसर। सड़क बनने और यातायात के साधन चलने पर मरीजों को लाने ले जाने और पढ़ने वाले बच्चों को आने-जाने में सुविधा।	गांव सभा को मजबूत बनाना। गांव सभा के माध्यम से गांव वासियों को एकत्रित कर शासन पर दबाव बनाना। रास्ता निर्माण में पंचायत की उदासीनता और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटना। निगरानी समिति द्वारा गांव में बनने वाले रास्ते की निगरानी करना और गांव सभा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देना।
जल			
कुएं हैंडपंप नाले नदी तालाब एनिकट बोरवेल	बारिश का पानी संग्रहित करने की किसी भी योजना का न होना। एनिकट का गुणवत्तापूर्ण निर्माण न होना, जिससे नदी का पानी उसमें से पानी रिस कर निकल जाना। नाले, कुओं, हैंडपंप में पानी सूख जाना।	मनरेगा के तहत तालाब, कुएं, एनिकट निर्माण व मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। बोरवेल पर नियंत्रण के नियम बनाये जा सकते हैं। बारिश का पानी रोकने की योजना बनाई जा सकती है। कुएं, हैंडपंप में पानी रीचार्ज किया जा सकता है।	पंचायत को जल संग्रहण के प्रति जागरूक करना। लोगों के बीच बारिश के पानी को इकठ्ठा करने की चेतना पैदा करना। गांव सभा मजबूत करना। विभिन्न जल सम्बन्धित विभागों में व्याप्त लापरवाही दूर करना।

		तालाब निर्माण किया जा सकता है।	
आजीविका सम्वर्धन			
कृषि भूमि चारागाह मजदूरी मनरेगा सब्जी की खेती पशुपालन	कृषि भूमि का अधिकतर पथरीली व ऊबड़-खाबड़ होना। सभी लोगों के पास पर्याप्त भूमि का न होना। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा न होना। मनरेगा के प्रति लोगों का उदासीन होना। सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होना। कृषि, बागवानी और पशुपालन की आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं होना। पशुपालन में उन्नत नस्ल के पशुओं का अभाव। खेती में उन्नतशील बीज का अभाव। जंगल को पुनर्जीवित करने की योजना का अभाव। आजीविका संवर्धन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी का अभाव और उनके संचालन में लापरवाही और भ्रष्टाचार होना।	सरकार द्वारा आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर आजीविका संवर्धन। किसान हेल्प सेंटर से मदद प्राप्त करना। मिट्टी परीक्षण करवाकर जलवायु और मिट्टी के अनुकूल फसल लेना। भूमि समतलीकरण व भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह जमीन का विकास कर चारा उगाया जा सकता है। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी या मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। एनिकट, तालाब में मछलीपालन किया जा सकता है। सब्जी की खेती की जा सकती है। मनरेगा के कार्यों की सामूहिक योजना बनाई जा सकती है।	मनरेगा को मूल रूप में लागू करवाना। रोजगार की समस्या पर गांव सभा में चर्चा करना। पंचायत व मेट के भ्रष्टाचार को रोकना। गांव सभा को मजबूत करना। बैंक से आजीविका संवर्धन के लिए ऋण लेने में भ्रष्टाचार रोकना सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को हटाना।
भूमि			
बिलानाम जमीन वन जमीन	बिलानाम भूमि अधिकार पत्र न मिलना। जंगल पर वन विभाग का	बिलानाम भूमि के पट्टे के मांग की योजना बनाई जा सकती है।	बिलानाम भूमि व वन दावे के लिए सामूहिक मांग की योजना बनाना।

	कब्ज़ा होना। वन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से पेड़ों की कटाई करना। वन समिति का वन के प्रति उदासीन होना। गांव सभा द्वारा गौण खनिज निकालने की योजना नहीं बनाना।	वन समिति द्वारा वन प्रबंधन की योजना बनाना। लघु वन उपज व फलदार पौधे लगाना। बाहरी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खनिज निकालने पर गांव सभा टैक्स लगा सकती है। सामूहिक वन दावा लगाया जा सकता है।	वन समिति व गांव सभा को मजबूत करना। लोगों को वन संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूक करना।

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

नजरिया नक्शा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण - बोर का पानी

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन	20
	विधवा पेंशन	2
	एकल नारी पेंशन	2
	विकलांग पेंशन	3
	पालनहार योजना 6 से 18 वर्ष	6
2	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना	58
	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना बकाया किस्त भुगतान	20
3	शौचालय के संबंध में नए आवेदन	44
	शौचालय के संबंध में बकाया भुगतान	18
4	**स्कूल के संबंध में** • राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोर का पानी • राजकीय प्राथमिक विद्यालय वाकी वड़ली • राजकीय प्राथमिक विद्यालय कवालिया दरा में अध्यापकों की नियुक्ति • राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोर का पानी और • राजकीय प्राथमिक विद्यालय कवालिया दरा में तीन-तीन अध्यापकों की नियुक्ति • राजकीय प्राथमिक विद्यालय वाकी वड़ली में 4 अध्यापकों की नियुक्ति • तीनों विद्यालयों में छत मरम्मत • तीनों विद्यालयों में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था आर. ओ. लगवाना • तीनों विद्यालय में तीन तीन कमरों का निर्माण	3
5	आंगनबाड़ी के संबंध में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोर का पानी के पास स्थित आंगनबाड़ी के अधूरे भवन का निर्माण पूरा करना कवालिया दरा फला आंगनवाड़ी की छत मरम्मत करना नई आंगनबाड़ी गमेती फला में खोलने के लिए वीर जी काला गमेती की जमीन पर भवन निर्माण करना नई आंगनवाड़ी नाल फला में हीरालाल धर्मा बरंडा की जमीन	
6	रास्ता निर्माण के संबंध में	

	कच्चा रास्ता 12100 मीटर सीसी सड़क 8000 मीटर	
7	एनीकट निर्माण या मरम्मत के संबंध में एनीकट मरम्मत मैस्वो नदी पर बने एनीकट की मरम्मत करना वड़ली वाले नाले पर दादू मना गमेती के खेत पर - गमेती फला	
8	चेक डैम निर्माण के संबंध में	77
9	नए हैंडपंप लगाने नए	18
	पुराने की मरम्मत करने के संबंध में	5
10	श्मशान घाट के संबंध में 1. चबूतरा निर्माण 2. मय टीन शेड 3. लकड़ी रखने के लिए कमरे का निर्माण	1
11	केटेगरी 4 के कार्य	70
12	वृक्षारोपण के संबंध में	39
13	सामाजिक कुरीतियों पर गांव सभा द्वारा रोक लगाने के संबंध में • बाल श्रम • बाल विवाह • मौताणा • डायन प्रथा • महिला हिंसा	1
14	गांववासियों के आपसी झगड़े विवाद का निपटारा गांव सभा में करने के संबंध में	1
15	काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा सभी का व्यक्तिगत दावा करने के संबंध में	1
16	वन भूमि पर गांव सभा द्वारा सामुदायिक वन दावा और उसकी पैरवी करने के संबंध में	1

गांव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

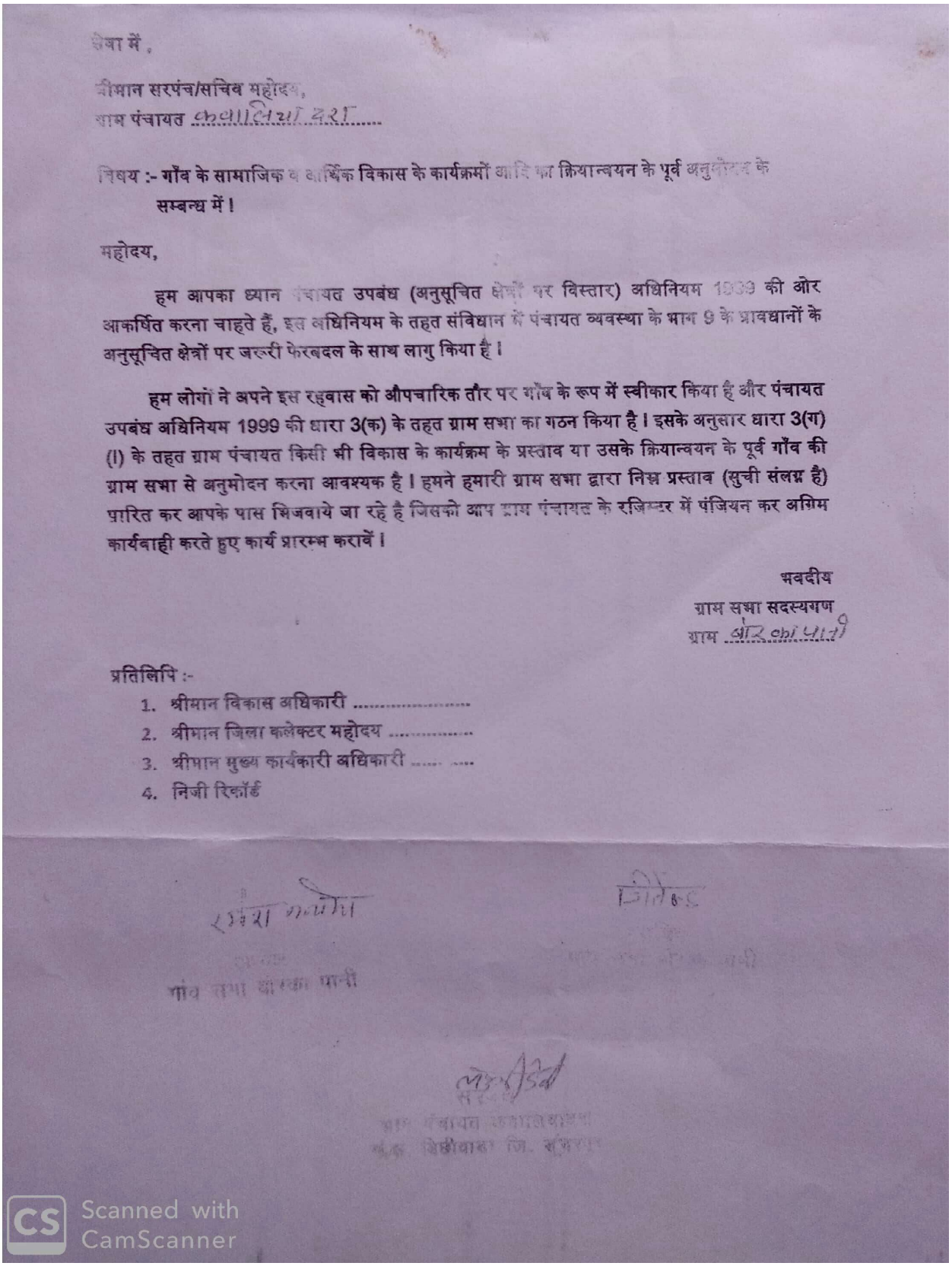

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत कवालिया दरा.......

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है ।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है । इसके अनुसार धारा 3(ग) (I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है । हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें ।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ओर का पानी

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

गांव सभा ओर का पानी

Scanned with CamScanner

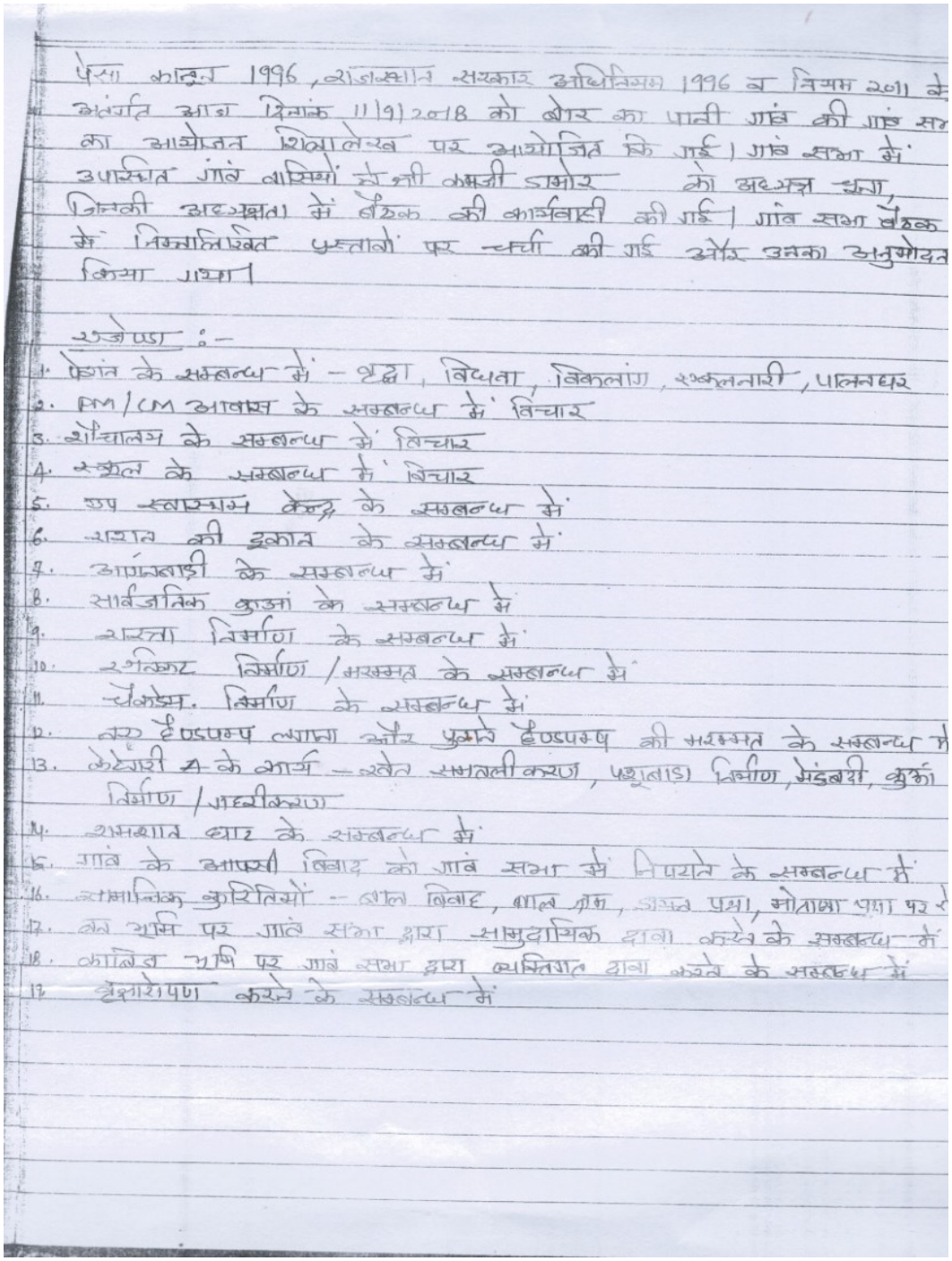

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार अधिनियम 1996 व नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक 11/9/2018 को बोर का पानी गांव की गांव सभा का आयोजन शिलालेख पर आयोजित कि गई। गांव सभा में उपस्थित गांव वासियों ने श्री कमजी डामोर को अध्यक्ष चुना, जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा :-

1. पेंशन के सम्बन्ध में – वृद्धा, विधवा, विकलांग, स्वच्छनारी, पालनहार
2. PM/CM आवास के सम्बन्ध में विचार
3. शौचालय के सम्बन्ध में विचार
4. स्कूल के सम्बन्ध में विचार
5. उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में
6. राशन की दुकान के सम्बन्ध में
7. आंगनबाड़ी के सम्बन्ध में
8. सार्वजनिक कुओं के सम्बन्ध मे
9. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में
10. रपटकट निर्माण / मरम्मत के सम्बन्ध मे
11. चैकडेम. निर्माण के सम्बन्ध में
12. नए हैण्डपम्प लगाना और पुराने हैण्डपम्प की मरम्मत के सम्बन्ध मे
13. केटेगरी A के कार्य – खेत समतलीकरण, पशुबाड़ा निर्माण, मेड़बंदी, कुआं निर्माण / गहरीकरण
14. श्मशान घाट के सम्बन्ध में
15. गांव के आपसी विवाद को गांव सभा में निपटाने के सम्बन्ध में
16. सामाजिक कुरीतियों – बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, मोताणा प्रथा पर रो
17. वन भूमि पर गांव सभा द्वारा सामुदायिक दावा करने के सम्बन्ध में
18. काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा व्यक्तिगत दावा करने के सम्बन्ध में
19. वृक्षारोपण करने के सम्बन्ध में

प्रस्ताव प्रथम पेज

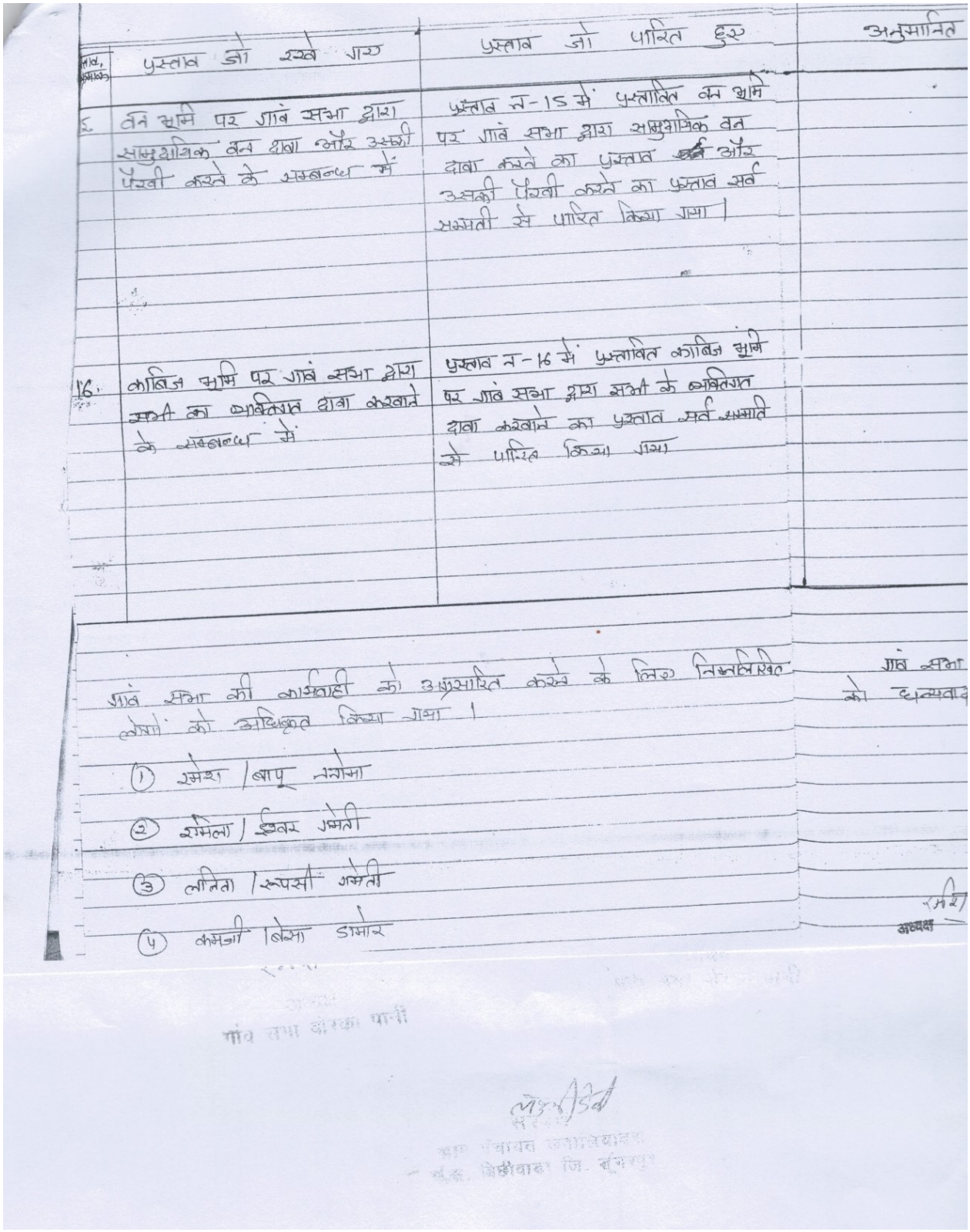

प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव जो रखे गए	प्रस्ताव जो पारित हुए	अनुमानित
15	वन भूमि पर गांव सभा द्वारा सामुदायिक वन दावा और उसकी पैरवी करने के सम्बन्ध में	प्रस्ताव न-15 में प्रस्तावित वन भूमि पर गांव सभा द्वारा सामुदायिक वन दावा करने का प्रस्ताव और उसकी पैरवी करने का प्रस्ताव सर्व सम्मती से पारित किया गया।	
16.	काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा सभी का व्यक्तिगत दावा करवाने के सम्बन्ध में	प्रस्ताव न-16 में प्रस्तावित काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा सभी के व्यक्तिगत दावा करवाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया	

गांव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया।

1. रमेश / बापू नगेसिया
2. रमेला / ईश्वर गमेती
3. ललिता / रूपसी गमेती
4. कमली / बेसा डामोर

गांव सभा को धन्यवाद

रमेश
अध्यक्ष

गांव सभा डारका पानी

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (V.P.F.T.)

क्र.	नाम	फोन न.
1	थावरा जीवा गमेती	9799671246
2	रमिला इश्वर गमेती	9799671246
3	जितेन्द्र हकरा ननोमा	9799878984
4	रमेश बापू ननोमा	9001773303